115

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2003–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 27/अपील/2003–04.

सत्यदेव गुप्ता तनय श्री सुदर्शन प्रसाद गुप्ता
निवासी रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. मनोज कुमार श्रीवास्तव तनय श्री बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव
   निवासी रायखोर तहसील रामपुर नैकिन,
   जिला सीधी म0प्र0
2. शासन म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 12–7–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने संहिता की धारा 107(5) के तहत इस आशय का आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम रायखोर की आराजी कमांक 1243/1 रकवा 1.00 एकड़ का यह भूमिस्वामी है। दिनांक 22–3–91 से सरहद्दी काश्तकार द्वारा भूमि कमांक 1712 का सीमांकन कराने पर ज्ञात हुआ कि आराजी कमांक 1243/1 का नक्शा त्रुटिपूर्ण है, अतः नक्शा सुधारा जाये। कलेक्टर ने तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा जिस

पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 59/अ–74/92–93 में दिनांक 14–5–93 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसपर कलेक्टर ने दिनांक 23–8–93 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12–7–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार रामपुर नैकिन ने कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें प्रश्नाधीन भू–खण्ड के क्षेत्र को वर्तमान नक्शा एवं खसरे में अंकित क्षेत्रफल समान पाये। कलेक्टर ने यह पाया कि नक्शे की भिन्नता के लिए बन्दोबस्ती नक्शा एवं अधिकार अभिलेख के नक्शे में अन्तर होने पर ही सुधार किया जा सकता है। कलेक्टर ने दोनों नक्शे का मिलान में यह पाया कि नक्शे में कोई त्रुटि नहीं है इसलिए कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं अभिलेख की जांच उपरांत आदेश पारित किया है, जो उचित प्रतीत होता है। अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर सीधी के आदेश को विधिसम्मत मानकर आदेश पारित करते हुये प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत होने से हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 12–7–2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर